142

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक–निगरानी 435–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–10–2014 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक–239/अपील/2010–11

.....

1– नेमीचन्द आ0 श्री लक्ष्मीचन्द जैन
2– प्रेमचन्द्र जैन आ0 श्री लक्ष्मीचन्द जैन
निवासीगण–ग्राम अमलार तहसील पचौर
जिला–राजगढ़, म.प्र.

————आवेदकगण

विरूद्ध

1– अशीष कुमार जैन आ0 श्री बीरेन्द्र कुमार जैन
2– संजय कुमार जैन आ0 श्री बीरेन्द्र कुमार जैन
3– बीरेन्द्र कुमार जैन आ0 श्री लक्ष्मीचन्द जैन
4– श्रीमती भवरीबाई पत्नी श्री बदामीलाल
निवासीगण–ग्राम अमलार तहसील पचौर
जिला–राजगढ़, म.प्र.

————अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रमेश सक्सैना, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1, 2 एवं 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25–6–2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

1/3

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष ग्राम अमलार स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 926 रकबा 0.114 हैक्टेयर, 927/2, रकबा 2.114 हैक्टेयर, 929/1

25/6/19

(1)

रकबा 0.089 हैक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 252/2 रकबा 1.821 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.138 हैक्टेयर को रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधर पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 15/अ–6/2009–10 में दिनांक 11–11–2010 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 एवं 2 का आवेदन निरस्त किया तथा मृतिका पारीबाई के स्थान पर सभी वारिसान पुत्र नेमीचंद, प्रेमचंद, बीरेन्द्र कुमार एवं पुत्री भंवरीबाई आ0 लक्ष्मीचंद जैन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये। नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 19/अपील/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16–6–2011 से नायब तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा एवं अपील सारहीन मानते हुये निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 239/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 08–10–2014 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को विधि के विपरीत मानते हुये निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख क ा अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि ग्राम अमलार स्थित प्रश्नाधीन भूमि पारीबाई बेवा लक्ष्मीचद की पैत्रिक सम्पत्ति थी। पारीबाई की मृत्यु दिनांक 31–12–2009 को हो गई थी। पारीबाई ने मृत्यु के पूर्व ही अपने हिस्से की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के पक्ष निष्पादित की। तहसील न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के आवेदन को इस आधार पर निरस्त करने में त्रुटि की है कि उक्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है जिसका वसीयत करने का अधिकार मृतक पारीबाई को नहीं है। संयुक्त परिवार की अविभाजित संपत्ति में अपने

2/3

25/6/19

(2)

हिस्से की वसीयत करने का अधिकार होता है। इस संबंध में 1999 आर.एन. 332 एवं 1994 आर.एन. 355 के न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है।

इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में प्रस्तुत वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है और उक्त वसीयत विचारण न्यायालय में गवाहों से सिद्ध भी की जा चुकी थी। तब ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार को वसीयत के स्थान पर सभी वारिसों के नाम नामांतरण के आदेश देने में त्रुटि की है। किसी भी पंजीकृत दस्तावेजों को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर व्यवहार न्यायालय को प्राप्त हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने भी इन विधिक बिन्दुओं पर जांच किये बिना ही तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। जहॉ तक आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, आयुक्त ने अपने आदेश विस्तार से विवेचना कर सभी बिन्दु का निराकरण कर उचित निष्कर्ष निकाले हैं। आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

3/3.

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–10–2014 स्थिर रखा जाता है।

(आर.के. जैन) 25/6
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,